हिन्दुस्तान
तरक्की को चाहिए नया नजरिया
गुरुवार, 02 फरवरी 2017

सुन लो सरकार, हम टेस्ट नहीं देंगे बार-बार

विरोध

बरेली | कार्यालय संवाददाता

एमबीबीएस में नेशनल एग्जिट एग्जाम अनिवार्य किए जाने की सरकार की तैयारी के खिलाफ मेडिकल छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है। छात्रों ने बुधवार को आईएमए हॉल में जोरदार प्रदर्शन किया। इसके बाद वह कलक्ट्रेट पहुंचे और डीएम को ज्ञापन सौंपा।

एसआरएमएस, रुहेलखंड और राजश्री मेडिकल कॉलेज के छात्र-छात्राएं बुधवार दोपहर आईएमए हाल पहुंचे। एग्जिट एग्जाम को लेकर गुस्साए छात्रों ने कहा कि एमबीबीएस और पीजी करने के दौरान उन्हें आठ साल तक लगातार परीक्षा देनी पड़ती है। अब सरकार उनके ऊपर एक और परीक्षा थोपने जा रही है। इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सरकार ने अगर अपने कदम पीछे नहीं खींचे तो मेडिकल छात्र सड़क पर उतरकर आंदोलन करने से भी गुरेज नहीं करेंगे।

आईएमए में बुधवार को एमबीबीएस छात्रों ने एक और परीक्षा प्रावधान का विरोध किया।

आईएमए के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. शरद अग्रवाल ने कहा कि सरकार के इस फैसले के खिलाफ आईएमए और सभी मेडिकल कॉलेज एक साथ आ गए हैं। इस लड़ाई में आईएमए मेडिकल छात्रों के साथ है। जरूरत पड़ी तो सरकार से मुचैटा लिया जाएगा। इस मौके पर सचिव डॉ. राजेश कक्कड़, डॉ. रवीश अग्रवाल, डॉ. अनूप आर्या, डॉ. रवि मेहरा, डॉ. विनोद पागरानी, डॉ. राजेश कुमार, डॉ. सोंधी आदि थे।

यह होगी दिक्कत : सरकार ने अगर नया नियम लागू कर दिया तो एमबीबीएस करने के बाद मेडिकल छात्रों को नेशनल एग्जिट एग्जाम पास करना होगा, तभी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उन्हें प्रैक्टिस करने का रजिस्ट्रेशन देगी। अन्यथा वे प्रैक्टिस करने से वंचित रह जाएंगे। नीति आयोग ने एमसीआई के माध्यम से इस मसले पर सुझाव मांगा था। 70 फीसदी स्टूडेंट्स ने इसका विरोध किया है। छात्रों का कहना है कि वो एमबीबीएस पास करने के लिए 16 लिखित परीक्षा देते हैं, क्या एक एग्जिट एग्जाम पास कर जाने से अच्छे डॉक्टर की गारंटी मिल जाएगी। यह तर्कसंगत नहीं है।

यह भी जानें : देश की आबादी के अनुसार केंद्र सरकार ने प्रति 1100 मरीज पर एक डॉक्टर देने की घोषणा की है, लेकिन, देशभर में करीब नौ लाख डॉक्टर ही हैं। इनमें से करीब पौने सात लाख डॉक्टर काम कर रहे हैं। देश की आबादी करीब 1.30 करोड़ है और इसके मुताबिक करीब 70 लाख डॉक्टरों की जरूरत है। वहीं, देश भर में कुल 465 मेडिकल कॉलेज हैं। इनमें से 420 चल रहे हैं। एमबीबीएस की कुल सीटें 63 हजार के करीब हैं। नए नियम के बाद भावी डॉक्टरों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी।